प्रेषक,

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,फतेहपुर।

सेवा में,

उप निदेशक,
जिला पंचायत,अनुश्रवण कोष्ठक
पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0
लखनऊ।

पत्रांक– 923 /जि0पं0/2024–2025/दिनांक–12/12/24

महोदय,

शासन द्वारा समस्त जिला पंचायतों से उनके यहाँ लागू/प्रभावी लाइसेन्स उपविधियों की सत्यापित सूची चाही गयी है।

उक्त के क्रम में जिला पंचायत,फतेहपुर में लागू/प्रभारी लाइसेन्स उपविधियों की सत्यापित सूची प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

12/12/24

(ज्ञानधन सिंह)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,फतेहपुर।

89AMANOT

रजिस्टर्ड नं०–एल०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 17 सितम्बर, 2016 ई० (भाद्र 26, 1938 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ–जिला पंचायत

09 सितम्बर, 2016 ई0

सं0 4862(2)/23-12-2012–उ0प्र क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, फतेहपुर ने अपने प्रबन्ध के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में फिक्स ईंट भट्टा, टाइल्स, खपड़ा, चूना, सुर्खी, भट्टी, भट्टा आदि को नियमित एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से पूर्व प्रचलित उपविधि संख्या 1553/23-84/1992, दिनांक 23 सितम्बर, 1992 एवं उपविधि संख्या 4969/23-79/2005, दिनांक 03 अगस्त, 2005 की उपधारा 8(अ) व 13 में निम्न प्रकार संशोधित/परिवर्धन प्रस्तावित किया गया है जो उ0प्र0 राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी। उक्त अधिनियम की धारा 242(4) के अन्तर्गत आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद के द्वारा पुष्टि किये जाने के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत तदनुसार एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है–

पूर्व प्रचलित उपविधि	प्रस्तावित संशोधित उपविधि
8(अ) चिमनी ईंट भट्ठा रु0 5,000.00 प्रति वर्ष	8(अ) फिक्स चिमनी ईंट भट्ठा रु0 10,000.00 प्रति वर्ष
13–एक अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नवीनीकरण करने पर 1,000.00 रु0 विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। इसके उपरान्त लाइसेंस न लेने पर भट्ठे मालिक के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी।	13–एक अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नवीनीकरण करने पर 2,000.00 रु0 विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। इसके उपरान्त 1,000.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क जमा करना होगा तथा लाइसेंस शुल्क न जमा करने पर भट्ठे मालिक के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी।

नोट–शेष शर्तें यथावत/पूर्ववत रहेगी।

25 हि·ग·-8A

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 तथा संशोधित 1994 की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, फतेहपुर घोषणा करती है कि उपरोक्त में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन करने पर उल्लंघन क़र्ता को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हो जाने पर अंकन रु0 1.000.00 तक अर्थ दण्ड किया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध हो जाने पर प्रत्येक ऐसे दिवस के लिये उल्लंघन जारी रहा तो रु0 50.00 प्रतिदिन के हिसाब से अर्थ दण्ड दिया जा सकता है और अर्थ दण्ड न जमा होने पर तीन मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

सं0 4863(2)/23-12-2012–जिला पंचायत फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाले मेलों, पशु बाजारों, बाजारों कृषि प्रदर्शनी तथा औद्योगिक प्रदर्शनियों को विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु उ0प्र0 क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) की सूची 'ज' प्रकीर्ण (ठ) के अन्तर्गत उपविधियां बनायी गयी हैं जो आयुक्त इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद की स्वीकृति के पश्चात् अधिनियम की धारा 242 (2) के अन्तर्गत प्रयोजनार्थ उ0प्र0 गजट दिनांक 14 अगस्त, 1971 में विज्ञप्ति संख्या 4820/23-20-71, दिनांक 03 अगस्त, 1971 तथा उसके साथ पठित संशोधन विज्ञप्ति संख्या 1123/तेईस-20-1971, दिनांक 15 दिसम्बर, 1979 व विज्ञप्ति संख्या 2941/तेईस-20-71, दिनांक 03 अप्रैल, 1980 एवं उपविधि संख्या 3413/23-85-1992, दिनांक 30 जुलाई, 1994 जो उ0प्र0 दिनांक 01 अक्टूबर, 1994 में प्रकाशित की गयी है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये अधिनियम की धारा 239 (2) की सूची 'ज' प्रकीर्ण (ख) के अन्तर्गत पंचायत हित में निम्न संशोधन किया है। आयुक्त इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद की पुष्टि के पश्चात् अधिनियम की धारा 242 (2) के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रयोजनार्थ प्रकाशित किया जाता है–

वर्तमान उपविधियां	प्रस्तावित संशोधित उपविधि
उपविधि संख्या–10 को निरस्त कर उसके स्थान में उपविधि संख्या–10 निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित की जाती है–प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्था अथवा सोसाइटी, जो मेला, पशु मेला, पशु बाजार, सुअर बाजार, कृषि प्रदर्शनी तथा उद्योगित प्रदर्शनी चलाना या लगवाना चाहता है। उसकी निम्नलिखित दर से लाइसेंस शुल्क जिला निधि में जमा करना अनिवार्य होगा।	उपविधि संख्या–10 को निरस्त कर उसके स्थान में उपविधि संख्या–10 निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित की जाती है–प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्था अथवा सोसाइटी, जो मेला, पशु मेला, पशु बाजार, सुअर बाजार, कृषि प्रदर्शनी तथा उद्योगित प्रदर्शनी चलाना या लगवाना चाहता है। उसकी निम्नलिखित दर से लइासेंस शुल्क जिला निधि में जमा करना अनिवार्य होगा।
1–मेला बाजार, कृषि प्रदर्शनी, औद्योगिक प्रदर्शनी रु0 1,000.00 प्रति वर्ष।	1–मेला बाजार, कृषि प्रदर्शनी, औद्योगिक प्रदर्शनी रु0 10,000.00 प्रति वर्ष।
2–पशुबाजार/सुअर बाजार/बकरी/गदहा बाजार रु0 800.00 प्रतिवर्ष।	2–पशुबाजार/सुअर बाजार/बकरी/गदहा बाजार रु0 8,000.00 प्रतिवर्ष।
3–पशु मेला/सुअर मेला/बकरी/गदहा मेला (प्रत्येक मेला 15 दिन से अधिक नहीं) (प्रति मेला) रु0 1,000.00 प्रतिवर्ष।	3–पशु मेला/सुअर मेला/बकरी/गदहा मेला (प्रत्येक मेला 15 दिन से अधिक नहीं) (प्रति मेला) रु0 10,000.00 प्रतिवर्ष।

नोट–प्रतिवर्ष 30 सितम्बर, तक वार्षिक लाइसेंस शुल्क न जमा करने पर व्यवसायी को एक अक्टूबर से रु0 1000.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा। शेष शर्तें यथावत्/पूर्ववत् रहेगी।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, फतेहपुर यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति उपरोक्त उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन करेगा। उसे न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर रु0 1,000.00 रु0 अर्थ दण्ड किया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता

हा है तो रु0 50.00 प्रतिदिन के हिसाब से दण्डनीय होगा अथवा यदि अर्थ दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो तीन माह तक हो सकेगा।

सं0 4864(2)/23-12-2012--उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत, अधिनियम 1961 की धारा 239 (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, फतेहपुर द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में धान मशीन, आइस कैन्डी मशीन, आटा, तेल कोल्हू तथा आरा मशीनों आदि के कार्य को नियमित एवं नियन्त्रित करने के उद्देश्य से पूर्व प्रचलित उपविधि संख्या 1418/23-67-68, दिनांक 28 दिसम्बर, 1968 तथा संशोधित उपविधि संख्या 604/23-78-88, दिनांक 22 नवम्बर, 1988 एवं उपविधि संख्या 1865/23-87-1999, दिनांक 22 जुलाई, 1999 व उपविधि संख्या 5052/23-77-2005, दिनांक 08 अगस्त, 2005 द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई थी। जिला पंचायत हित में उक्त अधिनियम की धारा 239(2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उपविधि संख्या 13 में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है, जो उक्त अधिनियम की धारा 242 (4) के अन्तर्गत आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद के द्वारा पुष्टि किये जाने के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत तदनुसार एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :

पूर्व प्रचलित उपविधि	प्रस्तावित संशोधित उपविधि
1--प्रत्येक धान मशीन चक्की पर 600.00 रुपये	1--प्रत्येक धान मशीन चक्की पर 600.00 रुपये
2--प्रत्येक आईश कैन्डी मशीन पर 300.00 रुपये	2--प्रत्येक आईश कैन्डी मशीन पर 500.00 रुपये
3--प्रत्येक आटा मशीन के लिये 300.00 रुपये	3--प्रत्येक आटा मशीन के लिये 300.00 रुपये
4--प्रत्येक तेल कोल्हू के लिये 300.00 रुपये	4--प्रत्येक तेल कोल्हू के लिये 300.00 रुपये
5--प्रत्येक आरा मशीन के लिये 800.00 रुपये	5--प्रत्येक आरा मशीन के लिये 5000.00 रुपये
6--प्रत्येक रुई मशीन के लिये 200.00 रुपये	6--प्रत्येक रुई मशीन के लिये 500.00 रुपये
7--प्रत्येक पायलेशर मशीन के लिये 1,500.00 रुपये	7--प्रत्येक पायलेशर मशीन के लिये 5,000.00 रुपये
8--प्रत्येक दाल मशीन के लिये 500.00 रुपये	8--प्रत्येक दाल मशीन के लिये 1,000.00 रुपये
9--प्रत्येक मसाला पीसने के लिये 300.00 रुपये	9--प्रत्येक मसाला पीसने के लिये 500.00 रुपये
10--प्रत्येक खाण्डसारी उद्योग/गन्ना कोल्हू पावर द्वारा 500.00 रुपये	10--प्रत्येक खाण्डसारी उद्योग/गन्ना कोल्हू पावर द्वारा 600.00 रुपये
11--ट्राली थ्रेशर बनाने का कारखाना 1,000.00 रुपये	11--ट्राली थ्रेशर बनाने का कारखाना 5,000.00 रुपये
12--उपरोक्त के अतिरिक्त पावर से संचालित मशीनों द्वारा अन्य चीजों के उत्पादन पर 500.00 रुपये	12--उपरोक्त के अतिरिक्त पावर से संचालित मशीनों द्वारा अन्य चीजों के उत्पादन पर 2,500.00 रुपये

नोट--शेष शर्तें यथावत्/पूर्ववत् रहेगी।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, फतेहपुर यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति उपरोक्त उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन करेगा। उसे न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर रु0 1,000.00 तक अर्थ दण्ड किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है तो रु0 50.00 प्रतिदिन के हिसाब से दण्डनीय होगा अथवा यदि अर्थ दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो तीन माह तक हो सकेगा।

सं0 4865(2)/23-12-2012--उ0प्र क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, फतेहपुर द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाली या चलने वाली फैक्ट्रियों के लिये जिला पंचायत द्वारा लाइसेंस लेने हेतु उ0प्र0 गजट, दिनांक 31 अगस्त, 1985 में प्रकाशित विज्ञप्ति

संख्या 5509/23-77-85, दिनांक 09 अगस्त, 1985 एवं उपविधि संख्या 4971/23-78/2005, दिनांक 03 अगस्त, 2005 के अन्तर्गत उपविधियों में संशोधन किया गया है, जो अधिनियम की धारा 242(4) के अन्तर्गत आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद के द्वारा पुष्टि किये जाने के पश्चात अधिनियम की धारा 242(2) के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावित होंगी, जो अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत तदनुसार एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है–

वर्तमान उपविधियां	प्रस्तावित संशोधित उपविधि
1–राइस मिल, फ्लावर मिल रु0 5,000.00	1–राइस मिल, फ्लावर मिल रु0 8,000.00
2–दाल मिल रु0 5,000.00	2–दाल मिल रु0 8,000.00
3–कोल्ड स्टोरेज रु0 5,000.00	3–कोल्ड स्टोरेज रु0 10,000.00
4–आइस फैक्ट्री रु0 1,000.00	4–आइस फैक्ट्री रु0 5,000.00
5–सरिया तथा पाइप बनाने की मिल रु0 5,000.00	5–सरिया तथा पाइप बनाने की मिल रु0 10,000.00
6–साबुन बनाने की फैक्ट्री रु0 2,500.00	6–साबुन बनाने की फैक्ट्री रु0 5,000.00
7–मशीनों के पुर्जे बनाने की मिल रु0 2,000.00	7–मशीनों के पुर्जे बनाने की मिल रु0 5,000.00
8–चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की मिल रु0 1,500.00	8–चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की मिल रु0 5,000.00
9–गत्ते की पैकिंग बनाने की मिल रु0 5,000.00	9–गत्ते की पैकिंग बनाने की मिल रु0 8,000.00
10–रबर प्लास्टिक के डिब्बे बनाने की मिल रु0 2,500.00	10–रबर प्लास्टिक के डिब्बे बनाने की मिल रु0 5,000.00
11–दूध का पाउडर तथा दूध से अन्य सामग्री बनाने की मिल रु0 5,000.00	11–दूध का पाउडर तथा दूध से अन्य सामग्री बनाने की मिल रु0 8,000.00
12–पत्थर की रोड़ी तोड़ने की मिल रु0 5,000.00	12–पत्थर की रोड़ी तोड़ने की मिल रु0 10,000.00
13–सुर्खी पीसने की मिल रु0 2,500.00	13–सुर्खी पीसने की मिल रु0 5,000.00
14–रिफाइनफोर्स्ड, सीमेन्ट कांक्रीट, हयूमपाइप बनाने की मिल रु0 5,000.00	14–रिफाइनफोर्स्ड, सीमेन्ट कांक्रीट, हयूमपाइप बनाने की मिल रु0 10,000.00
15–टेलीविजन फैक्ट्री रु0 5,000.00	15–टेलीविजन फैक्ट्री रु0 10,000.00
16–सूत मिल व रेशम मिल (प्रत्येक) रु0 5,000.00	16–सूत मिल व रेशम मिल (प्रत्येक) रु0 10,000.00
17–प्लाइवुड व सनमाइका बनाने की फैक्ट्री पर रु0 5,000.00	17–प्लाइवुड व सनमाइका बनाने की फैक्ट्री पर रु0 10,000.00
18–चमड़े की टैनिंग फैक्ट्री पर रु0 2,000.00	18–चमड़े की टैनिंग फैक्ट्री पर रु0 5,000.00
19–बटन बनाने की फैक्ट्री पर रु0 500.00	19–बटन बनाने की फैक्ट्री पर रु0 2,000.00
20–मोमबत्ती बनाने की फैक्ट्री पर रु0 1,000.00	20–मोमबत्ती बनाने की फैक्ट्री पर रु0 2,000.00
21–माचिस बनाने की फैक्ट्री पर रु0 1,000.00	21–माचिस बनाने की फैक्ट्री पर रु0 2,000.00
22–टिन की चादर बनाने की मिल रु0 5,000.00	22–टिन की चादर बनाने की मिल रु0 10,000.00
23–खाद फैक्ट्री रु0 5,000.00	23–खाद फैक्ट्री रु0 10,000.00
24–सीमेन्ट फैक्ट्री रु0 5,000.00	24–सीमेन्ट फैक्ट्री रु0 10,000.00

वर्तमान उपविधियां	प्रस्तावित संशोधित उपविधि
25—चावल की पालिस व खरी से तेल उत्पादन फैक्ट्री पर रु0 5,000.00	25—चावल की पालिस व खरी से तेल उत्पादन फैक्ट्री पर रु0 10,000.00
26—एल्युमिनियम के बर्तन बनाने की फैक्ट्री पर रु0 2,500.00	26—एल्युमिनियम के बर्तन बनाने की फैक्ट्री पर रु0 8,000.00
27—अन्य बडी फैक्ट्री (किसी भी व्यवसाय की) रु0 5,000.00	27—अन्य बड़ी फैक्ट्री (किसी भी व्यवसाय की) रु0 10,000.00
28—अन्य छोटी फैक्ट्री (किसी भी व्यवसाय की) रु0 2,500.00	28—अन्य छोटी फैक्ट्री (किसी भी व्यवसाय की) रु0 5,000.00
	29—पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प (दोनों अलग-अलग) रु0 5,000.00

नोट—उपविधि संख्या 28 से 29 तक जोड़ा जाता है तथा प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक वार्षिक लाइसेन्स शुल्क न जमा करने पर व्यवसायी को एक अक्टूबर से रु0 1,000.00 प्रतिमाह की दर से बिलम्ब शुल्क देय होगा। शेष शर्तें यथावत्/पूर्ववत् रहेगीं।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, फतेहपुर यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति उपरोक्त उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन करेगा उसे न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर रु0 1,000.00 तक अर्थ दण्ड किया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है तो रु0 50.00 प्रतिदिन के हिसाब से दण्डनीय होगा अथवा यदि अर्थ दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो तीन माह तक हो सकेगा।

राजन शुक्ला,
आयुक्त,
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।

छाया प्रति
सत्यापित
Neeraj Kumar
12/12/24
कार्य अधिकारी
जिला पंचायत, फतेहपुर

पी0एस0यू0पी0–2[illegible] हिन्दी गजट–भाग 3–2016 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

25–जिला पंचायत कौशाम्बी को इन उपविधियों के प्रभावी होने पर शुल्क की वसूली में से किसी विशेष वित्तीय वर्ष में कुल हुई आय का 20 प्रतिशत अंश अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में निर्धारित वसूली स्थल से संबंधित विकास खण्ड में जन विकास कार्यों में जिला पंचायत द्वारा व्यय किया जायेगा।

दण्ड

जिला पंचायत, कौशाम्बी, उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है, कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या संस्था इन उपविधियों को या उपविधि के किसी अंश का उल्लंघन करेगा/करेगी वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो रु0 1,000 (रु0 एक हजार) तक हो सकेगा, और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है रु0 50.00 (पचास रुपये) तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाय तो कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक हो सकेगा।

निरसन

माडल उपविधि के प्रभावी होने के दिनांक से विषय से संबंधित पूर्व में प्रचलित उपविधियां निरस्त हो जायेंगी।

ह0 (अस्पष्ट),
विजय विश्वास पन्त,
मण्डलायुक्त, प्रयागराज।

जिला पंचायत, फतेहपुर

31 अक्टूबर, 2022 ई0

सं0 5053/23-80-2005–उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा- 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, फतेहपुर ने अपने प्रबन्धन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी स्थान अथवा सार्वजनिक सड़क पर किसी प्रकार की दुकान (व्यवसाय) करने तथा उसके लिये लाइसेन्स लेने हेतु बनायी गयी उपविधियों में उ0प्र0 गजट दिनांक 15 जून, 1974 में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 3410/23-135-72, दिनांक 6 जून, 1974 के अन्तर्गत प्रकाशित हुयी है तथा उ0प्र0 गजट दिनांक 19 अगस्त, 1978, में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0-4198/23-135-72, दिनांक 01 अगस्त, 1978 द्वारा उ0प्र0 गजट दिनांक 15 सितम्बर, 1984 में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0-6527/23-135-72, दिनांक 24 अगस्त, 1984 एवं उ0प्र0 गजट दिनांक 23 जून, 1990 में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0-1832/23-22-90, दिनांक 19 अप्रैल, 1990 एवं 06 अगस्त, 1984 में प्रकाशित विज्ञप्ति एवं 14 अगस्त, 1999 में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 1849/23-87पी-1999, दिनांक 22 जुलाई, 1999 में प्रकाशित विज्ञप्ति जिला पंचायत हित में उनके अधिनियम की धारा 239(2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उपविधि सं0 11 के क्रमांक 90 में निम्न प्रकार संशोधन/परिवर्धन प्रस्तावित किया गया है। यह उपविधि जिला पंचायत, फतेहपुर की बैठक दिनांक 01 जनवरी, 2022 में पारित प्रस्ताव के अनुसार बनायी गयी है। जो उक्त अधिनियम की धारा 242(4) के अन्तर्गत आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज द्वारा पुष्टि किये जाने के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत तदानुसार एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह उपविधि उ0प्र0 गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी जो निम्नवत् है :

पूर्व प्रचलित उपविधि	संशोधित उपविधि
1–देशी शराब की दुकान रु0 1,000.00 प्रति वर्ष	1–देशी शराब की दुकान रु0 2,000.00 प्रति वर्ष
2–अंग्रेजी शराब की दुकान रु0	2–अंग्रेजी शराब की दुकान रु0 3,000.00 प्रति वर्ष

नोट–शेष शर्तें यथावत्/पूर्ववत रहेंगी।

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, फतेहपुर यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति उपरोक्त उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन करेगा। उसे न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर रु0 1,000.00 तक अर्थदण्ड किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है तो रु0 50.00 (पचास रुपये) प्रतिदिन के हिसाब से दण्डनीय होगा अथवा यदि अर्थ दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो तीन मास तक हो सकेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
विजय विश्वास पन्त,
मण्डलायुक्त, प्रयागराज।

छायाप्रति प्रमाणित

Neeraj Kumar

12/12/24

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत, फतेहपुर

पी0एस0यू0पी0–33 हिन्दी गजट–भाग 3–2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

संशोधन/परिवर्धन

उपविधि सं0 11	वर्तमान दरें	संशोधित दरें
1	2	3
	रु0	रु0
1--सोना चांदी आभूषण की दूकान	250.00	500.00
2--सोना चांदी के आभूषण वनाने व मरम्मत पर	100.00	300.00
3--मेडिकल स्टोर/प्रेक्टिशनर दवा वेचने की दूकान	150.00	300.00
4--लकड़ी के टाल की दूकान पर	150.00	500.00
5--पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प (दोनों अलग-अलग)	1000.00	2000.00
6--साइकिल की विक्री की दूकान पर	150.00	400.00
7--साइकिल की मरम्मत/पंचर पर	25.00	50.00
8--कोयले की दूकान पर	150.00	300.00
9--लोहे की छोटी दूकान	100.00	200.00
10--लोहे की वड़ी दूकान	200.00	500.00
11--विजली की मोटर, पंखों व विजली के सामान आदि के व्यवसाय पर	100.00	300.00
12--इमारती लकड़ी की दूकान पर	100.00	300.00
13--जूते की दूकान	50.00	200.00
14--हलवाई की दूकान	100.00	200.00
15--सोफा सेट, फर्नीचर आदि की दूकान पर	150.00	400.00
16--मिट्टी का तेल, डीजल, मोविल आयल की फुटकर दूकान पर (अलग-अलग तीनों के लिए)	100.00	300.00
17--कार, जीप, ट्रैक्टर आदि के पार्ट्स की दूकान	150.00	300.00
18--मिट्टी, पत्थर, सीमेन्ट पाइप, जंगला, सेनेटरी फिटिंग की दूकान पर (अलग-अलग)	100.00	200.00
19--पावर थ्रेशर वनाने या वेचने तथा लोहे की जाली दरवाजा आदि वनाने की दूकान पर	300.00	500.00
20--मोरम, वालू, चूना, सुर्खी, राखी, वांस, वल्ली, लाठी की दूकान पर (अलग-अलग)	50.00	200.00
21--कपड़े की फुटकर विक्री की दूकान	100.00	250.00
22--परचून की छोटी दूकान	50.00	200.00
23--परचून की वड़ी दूकान	100.00	300.00
24--कपड़ा परचून की सम्मिलित दूकान	150.00	300.00
25--कपड़े की विक्री पर	250.00	500.00
26--पुस्तक कापी स्टेशनरी की दूकान पर	100.00	300.00
27--वर्तन की दूकान	100.00	300.00
28--चाय, लस्सी, शर्वत या सोडावाटर/लिमका आदि पर	100.00	200.00
29--पान की दूकान	30.00	100.00
30--चाय तथा पान की सम्मिलित दूकान	50.00	150.00
31--विसातखाना की दूकान पर	50.00	100.00
32--कृषि सम्वन्धी मशीनरी व सभी प्रकार के मशीनरी की दूकान पर	200.00	500.00
33--घी, तेल या दूध की दूकान पर	50.00	200.00
34--होटल पर	100.00	300.00
35--ढाबा पर	200.00	1000.00
36--फल की दूकान पर	40.00	100.00
37--सब्जी की दूकान पर	30.00	100.00
38--गल्ला, किराना की छोटी दूकान जिसमें 10 कुन्तल से कम हो	100.00	200.00
39--गल्ला, किराना की बड़ी दूकान जिसमें 10 कुन्तल से अधिक हो, गल्ला फड़ियाही पर	100.00	300.00
40--अन्य व्यवसाय	50.00	500.00

1	2	3
	रु0	रु0
41--किराना की बड़ी दूकान	150.00	300.00
42--किराना की छोटी दूकान	100.00	200.00
43--जनरल स्टोर/चश्मा की दूकान पर	100.00	200.00
44--टीन के बक्सा, अल्मोनियम, बर्तन टीन चादर पर	100.00	300.00
45--सिलाई मशीन (टेलरिंग हाउस) बिक्री पर	100.00	400.00
46--कपड़े की सिलाई एक होने पर	25.00	100.00
47--कपड़े की सिलाई मशीन एक से अधिक होने पर	100.00	300.00
48--घड़ी की दूकान बेचने व मरम्मत होने पर	50.00	150.00
49--लाउडस्पीकर, बैट्री मरम्मत, चार्जिंग सम्बन्धित सामान	50.00	200.00
50--समस्त प्रकार की बीज की दूकान पर	50.00	200.00
51--बाल काटने की सैलून की दूकान	40.00	100.00
52--कार, जीप, ट्रैक्टर, मोटर साइकिल मरम्मत की दूकान	100.00	300.00
53--रासायनिक खादें जिसमें सहकारी गोदाम सम्मिलित न हो	100.00	300.00
54--हथियार, आग्नेयास्त्र, आतिशबाजी की दूकान	100.00	300.00
55--पत्थर एवं पत्थर के बने सामान पर	50.00	200.00
56--रूई बेचने की दूकान पर	80.00	150.00
57--रूई धुनने की दूकान पावर द्वारा	100.00	200.00
58--होजरी तथा क्राकरी की दूकान पर	50.00	200.00
59--तम्पाकू खाने या पीने की दूकान पर	50.00	150.00
60--सीमेन्ट की दूकान/गैस सिलेण्डर की दूकान या एजेन्सी पर	250.00	500.00
61--आयल इंजन, मरम्मत ट्रक, मोटर, ट्रैक्टर आदि की टायर-ट्यूब की मरम्मत व मशीन से हवा भरने की दूकान	100.00	300.00
62--गुड़, लाई, मोमफली की दूकान	50.00	150.00
63--नौटंकी कम्पनी, खेल तमाशा तथा मनोरंजन	200.00	400.00
64--वीन, ताशा, बाजा कम्पनी पर	50.00	100.00
65--बैण्ड कम्पनी पर	100.00	300.00
66--यदि कोई व्यवसायी एक स्थान से अतिरिक्त दूसरे स्थान/स्थानों के मेले, बाजार, प्रदर्शनी में व्यवसाय करने जायेगा, उसे मोबाइल शाप, फेरी का भी पृथक रूप से निर्धारित शुल्क जमा कर लाइसेन्स बनवाना अनिवार्य होगा	00.00	00.00
67--फल व सब्जी की सम्मिलित दूकान	50.00	100.00
68--दूध खरीदकर जनपद/कस्बों को भेजने पर	50.00	200.00
69--मोमफली, चाट, सिंघाड़ा व अन्य खाने के सामान चार पहिया के ठेलिया पर बेचने वाले व्यवसाय पर	40.00	100.00
70--आयल इंजन अथवा बिजली की मोटर के बिक्री की दूकान पर	250.00	500.00
71--ट्रांजिस्टर बेचने व मरम्मत पर	100.00	200.00
72--लोहे के खराद मशीन पर	150.00	300.00
73--गैस/बिजली द्वारा वेल्डिंग पर	100.00	300.00
74--लकड़ी की खराद मशीन पर	100.00	300.00
75--लाटरी की दूकान पर	100.00	300.00
76--कबाड़ की दूकान पर	150.00	500.00
77--अण्डा बिक्री की दूकान पर	50.00	100.00
78--कपड़े की रंगाई की दूकान पर	50.00	100.00
79--टी0वी0/वी0सी0आर0/वी0सी0पी0/वीडियो किराये पर देने की दूकान पर	150.00	500.00
80--वी0डी0ओ0 कैसेट की दूकान पर	100.00	300.00

1	2	3
	रु0	रु0
	100.00	200.00
81--गैस बत्ती/पेट्रोमैक्स किराये पर देने की दूकान पर	100.00	250.00
82--फोटोकापी व फोटो स्टेट पर	100.00	200.00
83--नमकीन/बेकरी बेचने व बनाने की दूकान	200.00	500.00
84--टेन्ट कुर्सी मेज आदि किराये पर देने की दूकान पर	150.00	300.00
85--बिजली डेकोरेशन की दूकान	250.00	500.00
86--ट्रैक्टर ट्राली द्वारा किराये पर सामान आदि ढोने की दूकान पर	250.00	500.00
87--गल्ला अथवा अन्य मौसमी चीजें जैसे प्याज, कुम्हड़ा, आलू आदि के व्यवसाय के क्रय-विक्रय के व्यवसाय पर	00.00	200.00
88--खोया के व्यवसाय पर	00.00	1000.00
89--गल्ला, धान आदि की आढ़त किसी प्रकार की होने पर	00.00	1000.00
90--शराब की दूकान/प्रेस या मशीन से कागज की छपाई पर	00.00	2000.00
91--दो पहिया वाहन/चार पहियों के बिक्री की एजेन्सी की दूकान पर	00.00	500.00
92--पी0सी0ओ0/फैक्स/दूध से क्रीम मक्खन की मशीन पर	00.00	300.00
93--फोटोग्राफर की दूकान पर	00.00	500.00
94--मछली/बकरा/गोश्त आदि की दूकान पर	00.00	200.00
95--बाध की दूकान पर	00.00	300.00
96--प्लास्टिक के सामान आदि पर	00.00	500.00
97--जुगाड़ मेल/माल ढोने वाले तीन पहिया वाहन पर	00.00	200.00
98--शान रखने की दूकान पर	00.00	2000.00
99--सिनेमा घरों पर	00.00	2000.00
100--तेल डिपो किसी प्रकार का होने पर	00.00	300.00
101--इलेक्ट्रानिक की दूकान पर	00.00	300.00

नोट--उपविधि सं0 11 की क्रम संख्या 7, 13, 37, 46, 51, 62, 64, 68, 69, 75, 77 तथा 78 को सूची में सम्मिलित किया जाता है अर्थात् इन मदों पर शुल्क देय होगा तथा क्रमांक 87 के बाद क्रमांक 88 से 101 तक जोड़ा जाता है तथा प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक वार्षिक लाइसेन्स शुल्क न जमा करने पर व्यवसायी को एक अक्टूबर से रु0 10.00 प्रतिमाह के हिसाब से विलम्ब शुल्क जमा करना होगा।

दण्ड

उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, फतेहपुर यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति उपरोक्त उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन करेगा तो उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हो जाने पर अंकन रु0 1000.00 का अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध हो जाने पर प्रत्येक ऐसे दिवस के लिए उल्लंघन जारी रहा तो रु0 50.00 प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड दिया जा सकता है और अर्थदण्ड न जमा होने पर तीन मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

डा0 ललित वर्मा,
आयुक्त,
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।

छायाप्रति प्रमाणित
Neeraj Kumar
12/12/24
कार्य अधिकारी
जिला पंचायत, फतेहपुर

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 21 हिन्दी गजट भाग-3 2005 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

1	2	3
	रु०	रु०
58--होजरी तथा शाकरी की दुकान	10·00	10·00
59--तम्बाकू खाने तथा पीने की दुकान	10·00	10·00
60--सीमेन्ट की दुकान	100·00	150·00
61--आयल इंजन मरम्मत ट्रक, मोटर, ट्रैक्टर आदि के टायर ट्यूब की मरम्मत व मशीन से हवा भरने की दुकान	30·00	30·00
62--गुड़ लाई, मूंगफली की दुकान	20·00	20·00
63--नौटंकी कम्पनी, खेल तमाशा तथा मनोरंजन के शो पर	40·00	40·00
64--बीन, ताशा, बाजा, कम्पनी	20·00	20·00
65--बैण्ड कम्पनी	30·00	30·00
66--यदि कोई व्यवसायी एक स्थान से अतिरिक्त दूसरे स्थान, स्थानों के मेला बाजार, प्रदर्शनी में व्यवसाय करने जायेगा उसे मोबाइल शाप (फेरी) का भी पृथक् रूप से निर्धारित शुल्क जमा कर लाइसेन्स बनवाना अनिवार्य होगा		10·00
67--फल व सब्जी की सम्मिलित दुकान	15·00	15·00
68--दूध खरीद कर अन्य जनपद को भेजने के व्यवसाय पर	25·00	25·00
69--मोमफली, चाट, सिघाड़ा व अन्य खाने का सामान चार पहिया के ठेलियों पर द्वारा बेचने वाले व्यवसाय पर	5·00	5·00

ग्रामीण क्षेत्र के जूता निर्माण हेतु आई० आर० डी० द्वारा चयनित लाभार्थियों की परिषद् की लाइसेन्स फीस माफ करने का निर्णय सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

यह उपविधियां गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी हो जायेंगी।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 240 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला परिषद् फतेहपुर घोषणा करती है कि उपरोक्त उपनियमों में से किसी उपनियम का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध होने पर 250 रु० (दो सौ पचास) तक अर्थदण्ड किया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के बाद प्रत्येक दिन के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहा है तो 10·00 रु० प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना न जमा करने पर तीन माह (3 माह) का कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

19 अप्रैल, 1990 ई०

सं० 1835/लेईस--23--90--उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद् फतेहपुर ने ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग, संस्था, निगम, कम्पनी, परिषद्, बोर्ड, अण्डर-टेकिंग संस्था आदि में ठेके पर भवन, सड़क, पुलिया, पुल, नहरों, नालों आदि के निर्माण, मरम्मत खुदाई एवं भराई आदि ठेके पर करने के कार्य को नियमित व नियंत्रित करने हेतु परिषद् एवं जनहित में निम्न उपविधियां बनायी हैं जो उक्त अधिनियम की धारा 243 (4) के अन्तर्गत आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद द्वारा पुष्टि किये जाने के पश्चात् अधिनियम की धारा 242 (2) के अन्तर्गत प्रयोजनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती हैं।

यह उपविधियां उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होंगी।

उपविधियां

1--कोई भी व्यक्ति, फर्म, संस्था, समिति, कम्पनी आदि जो फतेहपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग, संस्था, निगम, कम्पनी, परिषद्, बोर्ड, अण्डरटेकिंग संस्था आदि से ठेके लेकर भवन, सड़क, पुलिया, पुल, नहरों, नालों आदि के निर्माण, मरम्मत खुदाई एवं भराई सम्बन्धी कार्य करना चाहें उसे अपने को जिला परिषद् में पंजीकृत कराकर लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा।

2--जिला परिषद्, फतेहपुर में जो व्यक्ति, संस्था आदि ठेकेदारी करना चाहे उनके ऊपर यह उपविधियां यथावत् लागू होंगी।

3--इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेन्स अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी या जिला परिषद्, फतेहपुर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी लाइसेन्सिंग अधिकारी होंगे।

4--ठेकेदारी का लाइसेन्स लेने के लिये जिस विभाग में ठेकेदारी का कार्य किया जाना है उस विभाग के विभागाध्यक्ष की संस्तुति सहित पंजीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ देना होगा :

(अ) अपने स्थायी निवास स्थान के थाने से चरित्र प्रमाण-पत्र ।

(ब) शासन के माल विभाग के किसी अधिकारी से हैसियत प्रमाण-पत्र जो तहसीलदार स्तर से कम न हो ।

(स) जिस विभाग में ठेकेदारी का कार्य करना हो, उसके विभागाध्यक्ष से ब्लैक लिस्ट में न होने का प्रमाण-पत्र ।

(द) प्रार्थना-पत्र में यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि वह किसी विभाग में कितनी धनराशि तक का ठेका किस कार्य के लिये ले रहा है ।

5--जिला परिषद् द्वारा जिस विभाग के ठेकेदारी के लिये लाइसेन्स प्रदान किया जायेगा उस लाइसेन्स से उसी विभाग में ठेकेदारी के लिए अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित अलग-अलग लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा ।

6--विभिन्न विभागों के अन्तर्गत ठेकेदारी करने के लिये अलग-अलग लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा ।

7--यदि ठेकेदार अपनी दर्शायी गयी श्रेणी से अधिक की धनराशि का ठेका लेना चाहता है तो वह जिला परिषद्, फतेहपुर में पुनः प्रार्थना-पत्र विभाग के विभागाध्यक्ष की संस्तुति सहित देगा तथा बढ़ायी गयी धन की सीमा व श्रेणी के अनुसार लाइसेन्स शुल्क अदा कर देने पर नया लाइसेन्स दिया जायेगा । ऐसी स्थिति में पूर्व में दिया गया निम्न श्रेणी का लाइसेन्स स्वतः निरस्त हो जायेगा ।

8--लाइसेन्स की अवधि प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी ।

9--शासन के किसी विभाग, संस्था, निगम, कम्पनी, परिषद्, बोर्ड, अण्डरटेकिंग संस्था आदि संस्थाओं के लिये आवश्यक होगा कि वह अपने कार्यों के ठेके जिला परिषद् से पंजीकृत और लाइसेन्स शुदा ठेकेदार को ही दें ।

10--जिला परिषद्, फतेहपुर द्वारा ठेकेदार को निम्नवत् श्रेणी में श्रेणीबद्ध व पंजीकृत किया जायेगा और उसी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करना होगा :

(अ) 50,000.00 (पचास हजार) रुपये तक के ठेके लेने वाले ठेकेदार तृतीय श्रेणी के ठेकेदार होंगे और उनके लिये लाइसेन्स शुल्क 100.00 रुपये प्रतिवर्ष होगा ।

(ब) 50,000.00 रुपये से अधिक तथा 1,00,000.00 रुपये की धनराशि के ठेका लेने वाले द्वितीय श्रेणी के ठेकेदार होंगे और उनके लिये लाइसेन्स शुल्क 250.00 रुपये प्रतिवर्ष होगा ।

(स) 1,00,000.00 रुपये से अधिक की धनराशि के ठेका लेने वाले ठेकेदार प्रथम श्रेणी के ठेकेदार होंगे और उनके लिये लाइसेन्स शुल्क 500.00 रुपये प्रतिवर्ष होगा ।

11--यदि किसी विभाग, अर्द्ध सरकारी संस्था, निगम, कम्पनी, बोर्ड, परिषद्, अण्डरटेकिंग द्वारा ठेकेदारों को विनियमित करने का प्राविधान है अथवा आगे किया जाये तो भी इस उपविधि के प्राविधान लागू होंगे और सम्बन्धित नियम/उपनियम अथवा आदेशों के अन्तर्गत प्रदत्त अनुज्ञा इस लाइसेन्स से अलग होगी ।

12--तकनीकी कार्यों के लिये सम्बन्धित विभागों की अनुज्ञा प्रस्तुत करने पर ही जिला परिषद्, फतेहपुर द्वारा लाइसेन्स प्रदान किया जायेगा ।

13--किसी विभाग अथवा संस्था आदि की कोई शिकायत ठेकेदार के विरुद्ध प्राप्त होने व सार्वजनिक हित के विरुद्ध कार्य करने व लाइसेन्स का अनुचित प्रयोग करने आदि की दशा में अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा कि वह किसी भी समय लाइसेन्स को निरस्त अथवा निलम्बित कर सकते हैं ।

14--अपर मुख्य अधिकारी के लाइसेन्स देने, निरस्त करने तथा निलम्बित करने सम्बन्धी आदेश की अपील प्राप्ति के एक माह के भीतर अध्यक्ष को की जा सकेगी । अध्यक्ष का आदेश अन्तिम तथा मान्य होगा ।

15--गजट में प्रकाशन की तिथि से यह उपविधियां प्रभावी हो जायेंगी ।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 240 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला परिषद्, फतेहपुर घोषणा करती है कि उपरोक्त उपनियमों में से किसी उपनियम का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध होने पर रु० 250.00 (दो सौ पचास) तक अर्थदण्ड किया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के बाद प्रत्येक दिन के लिये जिसमें उल्लंघन जारी रहा है तो रु० 10.00 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना न अदा करने पर तीन माह (3माह) का कारावास का दण्ड दिया जा सकता है ।

बी० बी० डालियाल,

आयुक्त,

इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद ।

26 अप्रैल, 1990 ई०

सं० 5096/तेईस-60(72-73)--जिला परिषद् बस्ती की उपविधियां जिनकी स्वीकृति तथा प्रकाशन इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 1374/तेईस-60(72-73), दिनांक 6 नवम्बर, 1973 द्वारा एवं जिसमें संशोधन की स्वीकृति इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 4811/तेईस-60(72-73(

छायाप्रति प्रमाणित

Neeraj Kumar

12/12/24

कार्य अधिकारी

जिला पंचायत, फतेहपुर